संचिका सं0–14/जा0नि0–03–06/2014 का॰– ..../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची –1 तथा अनुसूची –2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि " तेली (कुलु/गोराई)" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–।) में समावेशित/दर्ज किया जाय तथा पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–।।) के क्रमांक–13 से तेली (कुलु/गोराई) जाति को विलोपित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जायः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) तेली (कुलु/गोराई) जाति को क्रमांक– 120 के बाद रिक्त क्रमांक– 121 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि तेली (कुलु/गोराई) जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक – 121 पर समावेशित किया गया है, अतएव तेली (कुलु/गोराई) जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक – 13 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2014 का०– .... / रांची, दिनांक

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक ... राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित ... प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2014 का०– 6578 / रांची, दिनांक 23/07/2015

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, धनबाद (सामान्य शाखा)

ज्ञापांक 2817 सा० दिनांक 6/8/15

प्रतिलिपिः–अनुमण्डल पदाधिकारी,धनबाद / सभी अंचल अधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निदेश के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद / श्री रूप रंजन, ई0 डिस्ट्रीक मैनेजर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री रंजीत विश्वकर्मा जिला समन्वयक प्रज्ञा केन्द्र धनबाद जिला / जिला स्तर प्रज्ञा केन्द्र / अनुमण्डल स्तर प्रज्ञा केन्द्र धनबाद को निदेश दिया जाता है कि पत्र में दिये गये निदेश के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उप समाहर्त्ता,प्रभारी
सामान्य शाखा, धनबाद